झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 6 — 13 पौष, 1924 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 3 जनवरी, 2003

विधि (न्याय) विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2002

एस0ओ0-211, दिनांक 3 जनवरी, 2003-संख्या-3066--हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 25) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्नलिखित नियमावली का गठन करती है--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-(1) यह नियमावली झारखण्ड हिन्दू विवाह निबंधन नियमावली, 2002 कही जायेगी ।

(2) इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।

2. परिभाषाएँ--इस नियमावली में, जबतक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 25)।

(ख) ''महानिबंधक'' से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908(1908 का अधिनियम सं0 16) की धारा 3 के अन्तर्गत नियुक्त महानिरीक्षक निबंधन ।

(ग) ''विवाह'' से अभिप्रेत है अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत हिन्दू-विवाह ।

(घ) ''निबंधक'' से अभिप्रेत है नियम-3 के अन्तर्गत पुस्तिकाएं युक्त हिन्दू विवाह के निबंधक ।

(च) ''जिला निबंधक'' से अभिप्रेत है निबंधन अधिनियम, 1908(1908 का अधिनियम सं016) की धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्त जिला के निबंधक और इसमें अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के अन्तर्गत निबंधक का कर्तव्य निर्वहन करनेवाले पदाधिकारी शामिल है ।

(ङ) "अवर-निबंधक" से तात्पर्य है, राज्य सरकार द्वारा निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं० 16) के अन्तर्गत नियुक्त अवर-निबंधक और इसमें अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत यथानियुक्त पदाधिकारी शामिल है ।

3. **निबंधक एवं अवर-निबंधक के क्षेत्राधिकार**--इस नियमावली के प्रयोजनार्थ अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रत्येक अवर-निबंधक एवं जिले के अंतर्गत प्रत्येक निबंधक हिन्दू विवाह के निबंधक के अधिकार का प्रयोग एवं उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

4. **विवाह का निबंधन**--(1) किसी विवाह के पक्ष, नियम 10 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क देकर निबंधक या अवर-निबंधक के कार्यालय में इस निमित्त रक्षित हिन्दू विवाह पंजी में विवाह से संबंधित विवरणी दर्ज करा सकते है ।

(2) विवाह के निबंधन से संबद्ध आवेदन दो प्रतियों में एवं इस नियमावली में उपाबद्ध प्रपत्र-'क' में उस निबंधक या अवर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिनके क्षेत्राधिकार में विवाह संपन्न हुआ हो या जिनके क्षेत्राधिकार में पति स्थायी रूप से निवास करता हो ।

परन्तु यह कि यदि आवेदन ऐसे निबंधक या अवर-निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किये गये हो जिनके क्षेत्राधिकार में विवाह सम्पन्न हुआ हो और पति इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थायी रूप से निवास नहीं करता हो, तो आवेदन तीन प्रतियों में सम्पृक्त किये जायेंगे एवं आवेदन की तीसरी प्रति आवेदन पत्र वाले निबंधक द्वारा उस निबंधक को अग्रसारित कर दी जायेगी, जिसके क्षेत्राधिकार में पति स्थायी रूप से निवास करता हो ।

परन्तु यह और कि विवाह के निबंधन के लिए आवेदन सामान्यतया क्षेत्राधिकार युक्त अवर-निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, किन्तु जिला-निबंधक अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे आवेदन स्वीकार कर सकेंगे ।

(3) उप-नियम(2) में वर्णित आवेदन के साथ, विवाह के उभयपक्षों के परिचय एवं आवेदन में वर्णित अन्य तथ्यों की शुद्धता विषयक राजपत्रित पदाधिकारी या ग्राम पंचायत के मुखिया या उप-मुखिया या पंचायत समिति के प्रमुख द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न किया जायेगा एवं आवेदन निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा । आवश्यक यदि चाहे, तो निम्नलिखित प्रपत्र में आवेदन का पावती प्राप्त कर सकेगा ।

----------एवं----------

के साथ विवाह के निबंधन के लिए----------द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक----------

हस्ताक्षर----------

(हिन्दू विवाह के निबंधक या अवर-निबंधक)

5. **हिन्दू विवाह पंजी**--(1) हिन्दू विवाह पंजी निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा संधारित सौ पन्नों का एक बंधित वॉल्यूम होगा, जिसके पृष्ठ मशीन द्वारा लगातार संख्यांकित होंगे ।

(2) निबंधक या अवर-निबंधक उन्हें निर्गत प्रत्येक निरंक पंजी के आमुख-पृष्ठ पर ऐसी पंजी के पृष्ठों की संख्या एवं उनके द्वारा पंजी प्राप्त किये जाने की तिथि, सहस्ताक्षर सत्यापित करेंगे ।

(3) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के अन्त में निबंधक या अवर-निबंधक वर्षान्तर्गत निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित करेगा और जब कभी ऐसी पंजी प्रविष्टियों से पूर्ण हो जाएगी, निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा उस विशिष्ट पंजी में निबंधित आवेदनों की संख्या सत्यापित की जायेगी ।

(4) निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा प्रयुक्त पंजियाँ क्रमांकित होंगी ।

6. आवेदन का संचयन--नियम 4 के अन्तर्गत निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन हिन्दू विवाह पंजी में उपलब्ध प्रथम रिक्त पन्ने पर चिपकाकर संचयन कर दिया जायेगा ।

7. आवेदन का पृष्ठांकन--(1) प्रत्येक आवेदन इसका द्वितीयक तथा इसकी तृतीयक प्रति के पश्चात्यक तत्पर पृष्ठ पर निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा सहस्ताक्षर निम्नलिखित पृष्ठांकन बनाया जायेगा ।

आवेदन मेरे द्वारा दिनांक----------20----------
को प्राप्त किया गया और इसे हिन्दू विवाह नियमावली 2002 (झारखण्ड) नियमावली के अंतर्गत संधारित हिन्दू विवाह पंजी के 20----------के क्रम संख्या----------पृष्ठ----------
संख्या----------पर पृष्ठांकित किया गया।

दिनांक----------

हस्ताक्षर----------
(हिन्दू विवाह के निबंधक या अवर-निबंधक)

(2) निबंधक या अवर-निबंधक पृष्ठांकन, आवेदकों को उनके विवाह के सम्यक् निबंधन की लिखित सूचना देगा ।

8. अनुकृतियाँ--अवर-निबंधक प्रत्येक माह के सातवें दिन या उसके पूर्व, पूर्ववर्ती माह के अन्तर्गत उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों की अनुकृतियाँ, आवेदनों की अनुकृतियों की क्रम संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए व्याख्यात्मक के साथ भेजेगा और यदि कोई आवेदन पूर्ववर्ती माह में प्राप्त न हुआ हो तो ऐसा पत्र पर विनिर्दिष्ट करते हुए जिला के निबंधक को प्रेषित करेगा कि कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

9. निबंधक द्वारा आवेदनों का संचयन--नियम 8 के अन्तर्गत आवेदनों की द्वितीयक प्रति प्राप्त होने पर निबंधक [illegible] प्रमाणित पन्ने में उक्त द्वितीयक प्रतियों को विवाहवार संचयित करने का कार्यवाही ।

10. शुल्क का अनुसूची--(1) विवाह के निबंधन हेतु आवेदन स्वीकार करने के लिए शुल्क होगा
(i) [illegible] रुपये, यदि निबंधन हेतु आवेदन विवाह सम्पन्न होने के दो माह के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो ।

(ii) 500.00 रुपये, यदि निबंधन हेतु आवेदन विवाह सम्पन्न होने के दो माह के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो । शुल्क निबंधक या अवर-निबंधक को नगद भुगतान किया जायेगा ।

(2) हिन्दू विवाह पंजी से प्रमाणित उद्धरण, निबंधक या अवर-निबंधक को आवेदन देकर एवं 250.00 रुपये के शुल्क भुगतान पर उनसे प्राप्त किया जा सकेगा ।

(3) प्रविष्टियों को खोजने के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होंगे--

(i) यदि प्रविष्टि चालू वर्ष की हो 75.00 रुपये;
(ii) यदि प्रविष्टि अव्यवहित विगत वर्ष की हो, 150.00 रुपये;
(iii) यदि प्रविष्टि उससे भी पूर्व वर्ष की हो, 200.00 रुपये और उसके पश्चात् प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अतिरिक्त 50.00 रुपये के साथ ।

(4) विवाह निबंधन हेतु उपर्युक्त शुल्क "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सेवायें-लघु शीर्ष-108-विवाह शुल्क-उप शीर्ष-हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन शुल्क" के अन्तर्गत कोषागार चालान के माध्यम से जमा करना आवश्यक होगा ।

11. बानगी का प्रपत्र--इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र संख्या 'ख' से संबद्ध रिसीट बुक में एक बानगी इस नियमावली के अंतर्गत भुगतान किये गये शुल्क की अभिस्वीकृति के लिए निर्गत किए जायेंगे । रिसीट-बुक की पन्नों का एक बंधित वॉल्यूम संख्या को प्रत्येक पर्व एवं प्रतिपर्व मुक्त होगा तथा लगातार अंकों द्वारा क्रमांकित होगा ।

12. कैश बुक- निबंधक या अवर-निबंधक इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'ग' में कैश बुक संधारित करेंगे या करायेंगे । इस नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त सभी शुल्क प्रत्येक दिन कैश बुक में अंकित किये जायेंगे और निबंधक या अवर-निबंधक उस दिन के कुल जमा शुल्क को सत्यता को प्रमाणित करते हुए हस्ताक्षर करेंगे ।

13. निबंधक की शक्तियाँ--(1) यदि निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा नियम-4 के अन्तर्गत प्राप्त कोई आवेदन किसी रूप से अपूर्ण या विसंगतिपूर्ण होगा या यदि विवाह पंजी से सत्यापित उद्धरण के लिए आवेदन नियम 10 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के साथ समर्पित नहीं किया जाता है, निबंधक या अवर-निबंधक विवाह के पक्षों से यथास्थिति उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत विसंगति दूर करने या निर्धारित शुल्क जमा किये जाने की अपेक्षा करेंगे, जिसे पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'घ' में प्रदर्शित पंजी में संचयित कर दिया जायेगा ।

(2) यदि निबंधक या अवर-निबंधक ऐसा आवेदन प्राप्त करते हैं जो उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है, वह इस आवेदक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वापस कर देंगे एवं इस नियमावली से उपाबद्ध प्रपत्र 'घ' में प्रदर्शित पंजी में संचयित करेंगे ।

(3) यदि अवर-निबंधक निबंधन के लिए प्राप्त किसी आवेदन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त करते हैं तो, वे उस जिले के निबंधक को अग्रसारित करेंगे, जो संबंधित आवेदन एवं प्राप्त आपत्तियों पर प्रभावित पक्षों की सुनवाई के उपरान्त निर्णय लेंगे और उनका निर्णय समक्ष न्यायालय के अन्यथा या आदेश के अध्यधीन, निबंधन हेतु आवेदन पर कार्यवाही के संबंध में अंतिम होगा ।

(4) ऐसे आवेदनों को जिन्हें वापस किया जायेगा या जिनका निबंधन पूर्व कथित रूप से अस्वीकृत किया गया है का विवरण इस नियमावली में उपाबद्ध अनुसूची के प्रपत्र 'घ' के पंजी में अंकित किया जायेगा ।

14. अधीक्षण--निबंधक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग महानिबंधक के सामान्य अधीक्षण में एवं अवर-निबंधक अपने कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग जिला/निबंधक के सामान्य अधीक्षण में करेंगे ।

15. प्रपत्र--विवाह के पक्षों को निबंधक या अवर निबंधक द्वारा निबंधन हेतु निरंक प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे । विवाह के पक्षों के लिए सुस्पष्ट टंकित प्रपत्रों के प्रयोग का विकल्प होगा ।

16. पंजियों एवं दस्तावेजों का परिरक्षण--(1) हिन्दू विवाह पंजी एवं नियम-17 में प्रकाशित मूलपाठ पूरे होने के छः वर्ष के बाद निबंधन जिले के मुख्यालय के केन्द्रीय अभिलेख कक्ष में लाकर स्थायी रूप से परिरक्षित कर दिये जायेंगे ।

(2) अन्य अभिलेख एवं कागजात, यथा रिसीट-बुक, रोकड़ बुक, पंजी से उद्धरण के लिए आवेदन इत्यादि छः वर्ष के पूरे हो जाने पर निबंधक या अवर-निबंधक द्वारा विनष्ट कर दिये जायेंगे ।

17. विवाह-पंजी की प्रविष्टियों का सूचीबद्धकरण--हिन्दू विवाह पंजी की सभी प्रविष्टियाँ सूचीबद्ध की जायेंगी तथा सूची दो प्रपत्रों में रखी जायेगी यथा एक वर के नाम से एवं दूसरा वधू के नाम से और ऐसी सूची किसी भी व्यक्ति को 50.00 रुपये प्रतिवर्ष रेकर्ड की दर से निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी ।

(संचिका सं0-एल0 जी0-14/2002)
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

अनुसूची

प्रपत्र-क

[नियम 4(2) देखें]

हिन्दू विवाह के निबंधन के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

हिन्दू विवाह के निबंधक

जिला---------

झारखण्ड ।

महाशय,

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुरूप हम अग्रहस्ताक्षरी पक्षों के मध्य दिनांक----- को हिन्दू विवाह सम्पन्न हुआ है और हम हिन्दू विवाह पंजी में अपने विवाह से संबंधित निम्नलिखित विवरण निबंधित करने का अनुरोध करते हैं :

विवाह से संबन्धित विवरण

1. विवाह की तिथि-
2. विवाह का स्थान (स्थान को चिह्नित करने हेतु समुचित विवरण सहित)-
3. वर संबंधी विवरण-
   (क) पूरा नाम एवं पेशा-
   (ख) अधिवास-
   (ग) उम्र (जो 21 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5)-
   (घ) निवास का सामान्य स्थान-
   (च) आवेदन के समय पता-
   (छ) विवाह के समय स्थिति, कन्या-

अविवाहित
विधुर
परित्यक्त

दिनांक-

(वर का हस्ताक्षर)

4. वधू संबंधी विवरण-
   (क) पूरा नाम एवं पेशा-
   (ख) अधिवास-
   (ग) उम्र (जो 18 वर्ष से अन्यून नहीं होगा, देखें धारा 5)-
   (घ) निवास का सामान्य स्थान-
   (च) आवेदन के समय पता-
   (छ) विवाह के समय स्थिति, कन्या-

अविवाहित
विधवा
परित्यक्ता

दिनांक-

(वधू का हस्ताक्षर)

5. वर के पिता के संबंध में विवरण--
(क) पूरा नाम-
(ख) उम्र-
(ग) पेशा-
(घ) निवास का सामान्य स्थान-
(च) आवेदन के समय पता-
(छ) जीवित या मृत-

दिनांक----------
(नोट--वर के पिता का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है ।) (वर के पिता का हस्ताक्षर)

6. वधू के पिता या अन्य अभिभावक के संबंध में विवरण-
(क) पूरा नाम-
(ख) उम्र-
(ग) पेशा-
(घ) निवास का सामान्य स्थान-
(च) आवेदन के समय पता-

दिनांक---------- (वधू के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर)
(नोट--वधू के पिता या अन्य अभिभावक का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है ।)

7. विवाह सम्पन्न कराने वाले पुरोहित का विवरण--
(क) पूरा नाम-
(ख) उम्र
(ग) निवास का सामान्य स्थान-
(घ) पता-

(नोट-पुरोहित संबंधी विवरण अंकित करना आवश्यक नहीं है, यदि आवेदन विवाह सम्पन्न होने के एक वर्ष पश्चात् दिया गया हो । पुरोहित का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है ।)

दिनांक---------- (विवाह सम्पन्न कराने वाले पुरोहित का हस्ताक्षर)

घोषणा--हम सत्यनिष्ठ घोषणा करते हैं कि हमने एवं सम्पन्न विवाह से संबंद्ध विवरण जो आवेदन-पत्र में अंकित हैं, हमारी श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार सत्य हैं और शेष तथ्य प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं एवं विश्वास है कि वे सत्य हैं ।

8. वर का हस्ताक्षर (वधू का हस्ताक्षर)

दिनांक- दिनांक-

1. गवाह
(क) पूरा नाम-
(ख) उम्र-

हस्ताक्षर--

दिनांक--

2. गवाह
(क) पूरा नाम-
(ख) उम्र-

हस्ताक्षर--

दिनांक--

वर एवं वधू के परिचय एवं इस आवेदन-पत्र के साथ अनुलग्न अन्य विवरणों के संबंध में श्री/श्रीमती----------पदनाम----------(एक राजपत्रित पदाधिकारी या ग्राम पंचायत के मुखिया या उप-मुखिया या पंचायत समिति के प्रमुख) द्वारा अभिप्रमाणित ।

नोट- विवाह के उभय पक्षों का परिचय एवं अन्य विवरणों का अभिप्रमाणन उपरोक्त किसी एक पदाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में एक से अधिक ऐसे पदाधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है ।

अनुसूची

प्रपत्र-ख

[देखें नियम 11]

शुल्क पावती
(द्वितीयक)

(1) क्रम संख्या--

(2) प्राप्ति की तिथि--

(3) जिससे शुल्क प्राप्त हुआ है-

(4) किस निमित्त शुल्क प्राप्त हुआ है-

(5) नियम जिसके अंतर्गत शुल्क ग्रहणीय है-

(6) शुल्क की राशि-

स्थान--

विवाह निबंधक का हस्ताक्षर

दिनांक----

अनुसूची

प्रपत्र-ग

[देखें नियम 12]

कैश बुक

पावती संख्या एवं तिथि	वसूल की गयी राशि का विवरण	राशि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	कोषागार में जमा राशि	चालान नं० एवं तिथि	विवाह के निबंधक का हस्ताक्षर एवं तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूची

प्रपत्र-घ

[देखें नियम 13]

वापस किये गये या अस्वीकृत आवेदन की पंजी

क्रम संख्या	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि एवं आवेदन प्रस्तुत करने वाले का नाम	विवाह के पक्षों एवं विवाह की तिथि	अस्वीकृत या वापस	अस्वीकृत या वापसी का कारण
1	2	3	4	5

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2002

संख्या-3055--उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3)के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशान्त कुमार,
सरकार के अवि०-सह-विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

LAW (JUDICIAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 31st December, 2002

S.O.-211, dated the 3rd January, 2003/No. 3055--In exercise of the powers conferred by section 8 of the Hindu Marriage Act, 1955 (Act No. 25 of 1955), the Government of Jharkhand is pleased to make the following rules:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the Jharkhand Hindu Marriage Registration Rules, 2002.

(2) This shall extend to the whole of Jharkhand.

(3) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires--

(a) "the Act" means the Hindu Marriage Act, 1955 (Act No. 25 of 1955);
(b) "Registrar-General" means the Inspector-General of Registration appointed under section 3 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908);
(c) "Marriage" means a Hindu Marriage to which the Act applies;
(d) "Registrar" means the Registrar of Hindu Marriage having jurisdiction under rule 3;
(e) "registrar of the District" means the Registrar of the District appointed under section 6 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and includes the officer performing the duties of a Registrar under section 10 and 11 of the Act;
(f) "Sub-Registrar" means a Sub-Registrar appointed by the State Government under the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and includes a person so appointed under section 12 of the Act.

3. Jurisdiction to Registrar and Sub-Registrar--For the purposes of these rules, every Sub-Registrar within the limits of his jurisdiction and every Registrar of the District within the district shall exercise the powers and perform the duties of Registrar of Hindu Marriages.

4. Registration of Marriages--(1) The parties to any marriage may, on payment of the fee specified in rule 10, have the particulars relating to marriage entered in the Hindu Marriage Register kept for the purpose in the office of the Registrar or Sub-Registrar.

(2) An application for registration of a marriage shall be made in duplicate to the Registrar or Sub-Registrar within whose jurisdiction the marriage is solemnized or within whose jurisdiction the husband permanently resides and shall be in Form 'A' of the Schedule appended to these rules.

Provided that, if the application is made to the Registrar or Sub-Registrar within whose territorial jurisdiction the marriage is solemnized and the husband does not permanently reside within such jurisdiction, it shall be made in triplicate and the third copy of the application shall be forwarded by the Registrar receiving the application to the Registrar within whose jurisdiction the husband permanently resides.

Provided further that an application for registration of marriage shall ordinarily be presented to a Sub-Registrar having jurisdiction but the Registrar of the District may in his discretion also entertain any such application.

(3) The application mentioned in sub-rule (2) shall be accompanied with a certificate issued by a Gazetted Officer, Mukhia, Up-Mukhia of a Gram Panchayat or Pramukh of a Panchayat Samiti as to the identity of the parties to the marriage and the correctness of other particulars appearing in the application and shall be presented personally to the Registrar concerned. Where the person presenting the application so desires he shall be given a receipt for the application in the following form

Received an application for registration of marriage between----------
----------and
----------presented by
Dated----------
Signature----------
[Registrar or Sub-Registrar of Hindu Marriages----------]

5. **Hindu Marriage Register**-- (1) A Hindu Marriage Register shall be bound volume of one hundred leaves the pages having been machine numbered consecutively and shall the maintained by Registrar of the District & Sub-Registrar.

(2) The registrar & Sub-Registrar shall certify under his signature on the title page of every blank register issued to him, the number of pages actually contained in such register and shall also note the date on which the register was received by him.

(3) At the close of every calendar year, the Registrar or Sub-Registrar shall certify the number of applications registered during the year and whenever a register is completed the Registrar or Sub-Registrar shall also certify the number of applications registered in that particular register.

(4) The registers used by the Registrar or Sub-Registrar shall be serially numbered.

6. **Filing of application**-- Each application made to the Registrar or Sub-Registrar under rule 4 shall be filed by him in the Hindu Marriage Register by pasting it on the first blank leaf available in the register.

7. **Endorsement of application**--(1) Each application and its duplicate and also its triplicate wherever required shall be endorsed by the Registrar or Sub-Registrar with the following endorsement duly signed by him on the reverse thereof, namely :

The application was received by me on_____20_____and it is filed at serial no _____of 20_____in page_____of volume_____of the Hindu Marriage Register, maintained under the Hindu Marriage Registration (Jharkhand) Rules, 2002

Date_____

(Signature)
(Registrar or Sub-Registrar of Hindu Marriages.)

(2) The Registrar or Sub-Registrar shall, as soon as may be, inform the applicants in writing that their marriage has been duly registered.

8. **Duplicates**--On or before the seventh day of each month the Sub-Registrar shall send to the Registrar of the district all duplicate copies of the application received by him during the preceding month along with a covering letter indicating therein the serial numbers of the duplicate copies of the application sent therewith and if no application was received in the previous month then a letter indicating that no application was received.

9. **Filing of the application by Registrar**--On receipt of the duplicate copies of the application sent under Rule 8, the Registrar of the district shall file or cause to be filed such duplicate copies by pasting them in registers maintained for that purpose by the Registrar.

10. **Schedule of Fees**--(1) The fee for entertaining an application for registration of a marriage shall be--

(i) Rs. 250.00, if the application for registration of a marriage is made within two months of the date of its solemnization.

(ii) Rs. 500.00, if the application for registration of a marriage is made after two months of the date of its solemnization.

Fee shall be paid to the Registrar or Sub-Registrar in cash.

(2) certified extract from the Hindu Marriage Register shall, on an application to the Registrar or Sub-Registrar, be given by him on payment of a fee of Rs. 250.00.

(3) For making a search the fee shall be--

(i) if the entry relates to the current year, Rs. 75.00;

(ii) if the entry relates to the immediately previous year, Rs. 150.00;

(iii) if the entry relates to the year before that, Rs. 200.00, and so, with an addition of Rs. 50.00 for each earlier year.

(4) Above fees for the Registration of marriage shall necessarily be deposited through Treasury Chalan under "Major Head-0070-Other Administrative Services-Sub-Major Head-60-Other Services Minor Head-108-Marriage Fees-Sub-Head-Registration Fees under Hindu Marriage Act".

11. **Form of receipt**--A receipt from the receipt book in Form No. B of the schedule appended to these rules shall be issued for acknowledging the fees paid under these rules. The receipt book shall be bound volume of one hundred leaves each with foils and counter-foils, which shall be machine numbered consecutively.

12. **Cash book**--The Registrar or Sub-Registrar shall maintain or cause to be maintained a cash book in Form "C" of the Schedule appended to these rules. All fees received under the rules shall be brought to account in the cash-book every day and the Registrar or Sub-Registrar shall sign the same in token of his verifying the correctness of the day's total collection of fees.

13. Power of Registrars—(1) If an application received by the Registrar or Sub-Registrar under Rule 4 is incomplete or defective in any respect or if an application for a certified extract from the Marriage Register is not accompanied by the fee specified in Rule 10, the Registrar or Sub-Registrar shall requir the parties to the marriage to remove the defect or pay the said fee, as the case may be, within such time as may be specified by him failing which the applicatioan shall be rejected and filed in the Register as shown in Form-D of the schedule appended to these rules.

(2) If the Registrar or Sub-Registrar receiving such application has no jurisdiction to receive the same, he shall return it to the applicant for being presented to the proper authority and filed in the Register as shown in Form-D of the schedule appended to these rules.

(3) Where an objection to any application for registration is received by a Sub-Registrar, he shall refer the same to the Registrar of the district, who shall decide the same as also objections received by him after hearing the parties affected thereby and his decision, subject to any decree or order of a competent court, shall be final in so far as the question of action on the application for registration is concerned.

(4) The particulars of all applications which are returned or of which registration is refused as aforesaid shall be noted in a register in Form-'D' of the Schedule appended to these rules.

14. Superintendence—The Registrar shall perform his duties and exercise his powers under the general superintendence of the Registrar General and the Sub-Registrar shall perform his duties and exercise his powers under the general superintendence of the Registrar of the District.

15. Forms.—Blank forms of application for registration shall be supplied by the Registrar or Sub-Registrar free of charge to the parties to a marriage. The parties may, however, at their option use legibly typed forms.

16. Preservation of Registers and records—(1) The Hindu Marriage Register and the indices referred to in Rule 17 shall, after six year of their completion, be consigned to, and preserved permanently in the Central Record Room at the headquarters of the registration district.

(2) All other records and papers such as receipt books, cash books, applications for extracts from the Register, etc., shall be destroyed by the Registrar or Sub-Registrar after the expiry of a period of six years.

17. Indexing of entries in the register of marriages—All the entries in the Hindu Marriage Register shall be indexed and the indices shall be in two forms, namely, one in the name of the bridegroom and the other in the name of the bride, and such indices shall be available for inspection to any person on payment of inspection fee of Rs. 50.00 per year of record.

(File No.-L.G.-14/2002)
By order of the Governor of Jharkhand
Prasbant Kumar,
Secretary to the Govt. cum L.R.
Law (Judicial) Department,
Jharkhand, Ranchi